40

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक : .... / 2017

I/पुनर्विलोकन/जबलपुर/भू.रा./2017/3248

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

———आवेदक

दिनांक 11.9.17 को पालीवाल पंकज शा.अ. द्वारा प्रस्तुत।

बनाम

कमलेश पुत्र लखनलाल, निवासी– चौकीताल जबलपुर मध्यप्रदेश ———अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता वास्ते पुनर्विलोकन आदेश दिनांकित 07.02.2017 पारित प्रकरण क्रमांक 569/1/2017 निगरानी जिला जबलपुर व उन्वान कमलेश कुमार बनाम मध्यप्रदेश शासन

1000 .9.17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/पुनर्विलोकन/जबलपुर/भू.रा./2017/3248

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं थी । अत: राजस्व मण्डल द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 7-2-2017 प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसे स्थिर रखा नहीं जा सकता है । उपरोक्त स्थिति में राजस्व मण्डल का प्रकरण क्रमांक निगरानी 569-एक/17 आदेश दिनांक 7-2-2017 पुनर्विलोकन में लिया जाकर निरस्त किया जाता है तथा इसी के साथ मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 569-एक/17 भी मण्डल में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	